कार्यकारी सारांश

मुख्य तथ्य

योजना उद्देश्य	दशमोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	
जारी की गई केन्द्रीय सहायता (2012-17)	सभी राज्य/यूटी	₹ 10,784 करोड़
	पांच चयनित राज्यों को	₹ 6,439 करोड़
2012-17 के दौरान व्यय	पांच चयनित राज्यों में (केन्द्र +राज्य भाग)	₹ 18,647 करोड़
लक्षित लाभार्थी	अनुसूचित जाति समुदाय से विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सभी स्रोतों से ₹2.5 लाख वार्षिक से अधिक न हो (2013-14 से प्रभावी)। पहले यह सीमा ₹2 लाख वार्षिक थी।	
चयनित राज्यों में 2012-17 में आच्छादित लाभार्थियों की सं.	भारत (सभी राज्य/यूटी)	268.69 लाख
	कर्नाटक	14.98 लाख
	महाराष्ट्र	22.80 लाख
	पंजाब	12.40 लाख
	तमिलनाडु	36.29 लाख
	उत्तर प्रदेश	49.49 लाख
	कुल (5 राज्य)	**135.96 लाख**
लेखापरीक्षा निष्कर्ष:	छात्रवृत्ति निधि का विपथन	₹ 28.94 करोड़
	छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब	18.58 लाख विद्यार्थी
	छात्रवृत्ति की अप्रयुक्त/अवितरित निधि	₹ 375.30 करोड़
	छात्रवृत्ति से इनकार/कम प्रतिपूर्ति	₹ 125.82 करोड़
	छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान	1.88 लाख विद्यार्थियों को ₹ 49.67 करोड़
	अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान	374 विद्यार्थियों को ₹ 1.95 करोड़
	वेब पोर्टलों के माध्यम से सृजित डाटा में भिन्नता और विसंगतियां	₹ 455.98 करोड़ की वित्तीय विवक्षा

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को एससी समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए 1944 में शुरू किया गया था। तब से यह योजना निरंतर परिचालन में हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर, कर्नाटक, महाराष्ट्र पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश पांच राज्यों में 2012-13 से 2016-17 तक पांच वर्षों की अवधि को कवर करते हुए योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। एससी समुदाय के 1.36 करोड़ छात्रों को लाभ देने के लिए 2012-17 की अवधि के दौरान पांच राज्यों में योजना में किया गया कुल व्यय ₹18,647 करोड़ था।

योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा ने स्वंय योजना दिशानिर्देशों में व्यवस्थित अंतराल के साथ-साथ योजना की कमी, खराब वित्तीय प्रबंधन और ₹581.68 करोड़ के वित्तीय विवक्षा के साथ छात्रवृत्ति निधियों के संवितरण में अनियमितताओं के साथ ₹455.98 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय भागीदारी के साथ वेब पोर्टलों के माध्यम से सृजित डाटा में भिन्नता और विसंगतियां उजागर की जो कि योजना दिशानिर्देशों और उसके कार्यान्वयन की संपूर्ण समीक्षा हेतु आवश्यकता की ओर इंगित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य उद्देश्यों के लिए योजना निधियों का गलत उपयोग या विपथन नहीं किया जा सके।

विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु तंत्र को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योजना दिशानिर्देशों को कई पहलुओं में त्रुटिपूर्ण पाया गया था। न तो मंत्रालय को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व पात्र लाभार्थियों की पहचान हेतु कार्य योजना/परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी के किसी योजना कार्य हेतु कोई तंत्र निर्धारित किया गया था और न ही दिशानिर्देशों ने छात्रों द्वारा आवेदन के प्रस्तुतीकरण और उनकी संवीक्षा और अनुमोदन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की थी। परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के चार राज्यों में एक से लेकर छः वर्षों के बीच 18.58 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब थे। दिशानिर्देशों में मॉनीटरिंग और मूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान नहीं है जोकि योजना की प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन करने एवं इसके कुशल कार्यान्वयन में रूकावटों को पहचानने के लिए निर्णय लेने वालों के लिए आवश्यक हो।

केन्द्र सरकार द्वारा निधियों के अपर्याप्त आबंटन तथा राज्यों द्वारा खराब वित्तीय प्रबंधन द्वारा योजना के कार्यान्वयन में बाध्यताएं थीं। भारत सरकार राज्यों से निधियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पाई जिसके कारणवश पांच चयनित राज्यों में ₹5,368 करोड़ की राशि के बकाया का संचय हुआ था। यहां तक की बैंक विवरणों के मेल न खाने के कारण ₹375.30 करोड़ असंवितरित पड़े रहने के साथ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के तीन राज्यों में उपलब्ध निधियों को पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया गया। जिसके कारण पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों से वंचित रखा गया था। इसके अतिरिक्त, 2012-17 के दौरान ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुरक्षण और लेखन सामग्री, कम्प्यूटर, आदि के क्रय के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में ₹28.94 करोड़ की छात्रवृत्ति निधियों को विपथित किया गया था।

राज्य भी लाभार्थियों की पात्रता और आवेदनों को आगे बढ़ाने और छात्रवृत्ति निधियों के संवितरण हेतु प्रक्रियाओं से संबंधित योजना दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में विफल हुए थे। लेखापरीक्षा ने कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब के तीन राज्यों में ₹125.82 करोड़ की राशि की कम प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति से इनकार पाया था। दरों के गलत उपयोग के कारण 2012-17 के दौरान पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 1.88 लाख छात्रों को ₹49.67 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। 2012-17 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 374 अपात्र छात्रों को ₹1.95 करोड़ की छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति हुई थी।

शैक्षणिक सत्र 2013-14 से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश द्वारा आय सीमा के संशोधन से संबंधित योजना दिशानिर्देश का पालन न करने के कारण राज्यों में पात्र छात्रों को लाभ से इनकार किया गया था। पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्य छात्रवृत्ति के कुछ घटक अर्थात् थीसिस भत्ता, पुस्तक भत्ता, विक्लांग भत्ता, अध्ययन दौरा प्रभारों को भी कवर नहीं कर रहे थे।

मंत्रालय तकनीकी मामलों के कारण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पीएमएस-एससी को कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं था और राज्य पोर्टलों के माध्यम से उसे कार्यान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, राज्य पोर्टलों में सुरक्षा पहुँच सुनिश्चित करने और यह आश्वासन देने कि लेन-देन, वैध,

प्राधिकृत, संपूर्ण और सही हों ऐसा करने के लिए सामान्य तथा उपयोग नियंत्रण

दोनों में कमी थी। पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, लेखापरीक्षा ने ₹455.98 करोड़ के वित्तीय विवक्षा के साथ राज्य पोर्टलों द्वारा सृजित डाटा में विसंगतियां पायी जोकि अनियमित भुगतान तथा अपकरण के जोखिम से बचने के लिए मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों द्वारा समेकित जांच को आवश्यक करता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा, आवधिक निरीक्षणों तथा शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति सहित मॉनीटरिंग और शिकायत निवारण हेतु संस्थागत तंत्र या तो विद्यमान नहीं थे या व्यावहारिक रूप से कार्यात्मक नहीं थे। मंत्रालय ने अपने प्रभाविकता को बढ़ावा देने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों की पहचान करने के लिए योजना के कार्यान्वयन का व्यापक मूल्यांकन नहीं किया था।